राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 415/2024

राजू वेदवाल —अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचयती राज विभाग (पंचायती राज), जयपुर।
3. उपायुक्त एवं शासन उपसचिव द्वितीय, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति, सिकराय, दौसा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक :

<u>उपस्थित</u> —
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चंद गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.06.2012 (अनुलग्नक—2) को अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर पंचायत समिति सिकराय, जिला दौसा में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा वर्ष 2017 में अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश (एपीओ) करके कार्यव्यवस्थार्थ पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति सिकराय, जिला दौसा से पंचायत समिति, धौरीमना, जिला बाड़मेर में 1000 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 21.02.2024 को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी डिप्लोमा होल्डर है एवं अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी की जगह पर किसी भी कर्मचारी का पदस्थापन नहीं किया गया है, ना ही अपीलार्थी ने कभी लिखित व मौखिक में स्थानान्तरित स्थान के लिए प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के बच्चे कक्षा 9वी व

12वीं में अध्ययनरत है तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरित स्थान पर स्थानान्तरण किया जाता है तो अपीलार्थी के पुत्रों का अध्ययन बाधित होगा तथा अपीलार्थी अपने परिवार की 1000 कि.मी. दूर से आकर देखभाल भी नहीं कर सकता है। जिला दौसा में कनिष्ठ अभियंता के 21 पद रिक्त है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्वक किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदशे दिनांक 19.06.2012 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर पंचायत समिति सिकराय, जिला दौसा में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति सिकराय, जिला दौसा से पंचायत समिति, धौरीमना, जिला बाड़मेर में राज्यहित में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करके किया गया। अपीलार्थी वर्ष 2017 वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 1000 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** (डब्ल्यू.एल. सी. 2007(2) 276) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)